225/2012

12.12.23 पत्रावली पेश हुई।

पक्षकारान वकील उप0। विप्रार्थी सं. 3 के पैरोकार उप0।

विप्रार्थी सं. 1 को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर समाप्त किया जाता है तथा विप्रार्थी सं. 2 को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

आवेदन पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थी के वकील की बहस है कि प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त पीढियों के कब्जा काश्त की पैतृक व पुश्तैनी भूमि मौजा चाडों की ढाणी पटवार क्षेत्र चाडों की ढाणी तहसील सिणधरी में खेत खसरा नम्बर 523 रकबा 09.16 बीघा, 523/2 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 525 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 555 रकबा 20.02 बीघा, खसरा नम्बर 594 रकबा 29.15 बीघाा, खसरा नम्बर 813 रकबा 12.19 बीघा, खसरा नम्बर 816 रकबा 09.09 बीघा व खसरा नम्बर 819 रकबा 08.19 बीघा कुल रकबा 91.12 बीघा के आये हुऐ है। वादग्रस्त भूमि पर वक्त सेन्टलमेट के समय प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के पिता रड़मा, वादी संख्या 4 से 6 के पिता डूंगरा, वादी संख्या 7 व 8 तथा वादी संख्या 9 से 15 के पूर्वज हरजी पुत्र डाया तथा विप्रार्थी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त था तथा सेन्टलमेंट अधिकारियों को प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के पिता रडमा, वादी संख्या 4 से 6 के पिता डूंगरा, वादी संख्या 7 व 8 तथा वादी संख्या 9 से 15 के पूर्वज हरजी पुत्र डाया तथा विप्रार्थी संख्या 1 के नाम से संयुक्त रूप से पर्चा लगान जारी करना था परन्तु विप्रार्थी संख्या 1 ने सेन्टलमेंट व राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर उक्त खेतों का पर्चा लगान अपने अकेले नाम से जारी करवा दिया, जबकि उक्त सेन्टलमेंट के समय वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण, उनके पूर्वजों व विप्रार्थी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त था जो आज दिन तक बदस्तुर चला आ रहा है इसके बावजूद भी प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के पिता रड़मा, वादी संख्या 4 से 6 के पिता डूंगरा, वादी संख्या 7 व 8 तथा वादी संख्या 9 से 15 के पूर्वज हरजी पुत्र डाया तथा विप्रार्थी संख्या 1 के अपने साथ राजस्व रेकर्ड में अंकित नहीं करवाया, जिसकी जानकारी तत्समय प्रार्थीगण के पूर्वजों को नहीं होने दी। उसके बाद प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 आपसी सहमति से बाहामी से भूमि का बंटवाडा कर लिया तथा बाहामी बंटवाडे के अनुसार वादग्रस्त भूमि में वादी संख्या 1 से 8 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 9 से 15 का 1/3 हिस्सा तथा विप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा की भूमि पर काबिज होकर काश्त करने लगे तथा इसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:44:48 IST
Reason: SelfAttested

सिणधरी

हिस्से अनुसार प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त आज दिन तक निर्बाध रूप से चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण की आबादी कब्जे काश्त की भूमि रहवासी पुरानी ढाणीया, पानी के टांके, चारबाडे आदि बने हुऐ है। प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि मौजा दण्ढ पटवार क्षेत्र दांखा तहसील सिणधरी में खसरा नम्बर 76, 77, 81, 136 कुल रकबा 65.05 बीघा की आई हुई है जिसका पर्चा लगान प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त नाम से जारी हुआ तथा वर्तमान में भी उक्त भूमि प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का वक्त सेन्टलमेट से हक हिस्सा निहित है तथा लगातार निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि है जिस पर प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त वक्त सेन्टलमेंट से चला आ रहा है तथा प्रार्थी संख्या 1 से 8 का 1/3 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 9 से 15 का 1/3 हिस्सा तथा विप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा की भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है परन्तु सेन्टलमेंट अधिकारियों की भूल से प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों का नाम पर्चा लगान में अपने भाई विप्रार्थी संख्या 1 के साथ अंकित नहीं किया तथा वर्तमान में भूमि की कीमतों में बढोतरी होने के कारण विप्रार्थी संख्या 1 की नियत में खोट आने के कारण वह प्रार्थीगण को जबरन बेंदखल करने पर प्रयासरत है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण वादग्रस्त पैतृक स्वामित्व व कब्जे काश्त की भूमि में अपना उपरोक्तानुसार हिस्सा विप्रार्थी संख्या 1 के साथ सहखातेदार के रूप में अंकित करवाने के विधिक अधिकारी है क्योंकि प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर वक्त सेन्टलमेंट से कब्जा काश्त होने से एडवर्स पेजेशन के आधार पर भी उक्त भूमि में प्रार्थीगण का स्वयमेव हक हिस्सा निहित होने से प्रार्थीगण खातेदारी की घोषणा करवाने के विधिक अधिकारी है। प्रार्थीगण का नाम वादग्रस्त भूमि में न होने के कारण विप्रार्थी संख्या 1 की नियत में फर्क आ गया तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में हस्तक्षेप किया जा रहा है तथा प्रार्थीगण को उनके पैतृक हिस्से से महरूम करने का प्रयास किया जा रहा है जबकि विप्रार्थी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि ऐसा करने में विप्रार्थी संख्या 1 सफल हो गया तो प्रार्थीगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा चाड़ों की ढाणी पटवार क्षेत्र [illegible] तहसील सिणधरी में खेत खसरा नम्बर 523 रकबा 09.16 बीघा, [illegible] रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 525 रकबा 08 बिस्वा, खसरा [illegible] 555 रकबा 20.02 बीघा, खसरा नम्बर 594 रकबा 29.15 बीघाा, खसरा नम्बर 813 रकबा 12.19 बीघा, खसरा नम्बर 816 रकबा 09.09 बीघा व खसरा नम्बर 819 रकबा 08.19 बीघा कुल रकबा 91.12 बीघा में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दंखलअन्दाजी व हस्तक्षेप नहीं करें तथा न ही बलपूर्वक बेदखल करने का प्रयास करें तथा न ही किसी प्रकार का बेचान, रहन आदि करें तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें, इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:44:48 IST
Reason: SelfAttested

आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी की जावें।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन एवं तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमे पाया कि उक्त आराजी मौजा प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि मौजा दण्ढ पटवार क्षेत्र दांखा तहसील सिणधरी में खसरा नम्बर 76, 77, 81, 136 कुल रकबा 65.05 बीघा की आई हुई है जिसका पर्चा लगान प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त नाम से जारी हुआ तथा मौजा चाडों की ढाणी पटवार क्षेत्र चाडों की ढाणी तहसील सिणधरी में खेत खसरा नम्बर 523 रकबा 09.16 बीघा, 523/2 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 525 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 555 रकबा 20.02 बीघा, खसरा नम्बर 594 रकबा 29.15 बीघाा, खसरा नम्बर 813 रकबा 12.19 बीघा, खसरा नम्बर 816 रकबा 09.09 बीघा व खसरा नम्बर 819 रकबा 08.19 बीघा कुल रकबा 91.12 बीघा के आये हुऐ है। वादग्रस्त भूमि पर वक्त सेन्टलमेट के समय प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के पिता रडमा, वादी संख्या 4 से 6 के पिता डूंगरा, वादी संख्या 7 व 8 तथा वादी संख्या 9 से 15 के पूर्वज हरजी पुत्र डाया तथा विप्रार्थी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त था तथा सेन्टलमेंट अधिकारियों को प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के पिता रडमा, वादी संख्या 4 से 6 के पिता डूंगरा, वादी संख्या 7 व 8 तथा वादी संख्या 9 से 15 के पूर्वज हरजी पुत्र डाया तथा विप्रार्थी संख्या 1 के नाम से संयुक्त रूप से पर्चा लगान जारी करना था परन्तु विप्रार्थी संख्या 1 ने सेन्टलमेंट व राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर उक्त खेतों का पर्चा लगान अपने अकेले नाम से जारी करवा दिया।

जंहा तक प्रार्थीगण की इस्तदुआ अनुसार वादग्रस्त भूमि मौजा चाडो की ढाणी में अपना हिस्सा होने अथवा नहीं होने का निस्तारण मूल वाद के जरिये साक्ष्य/सबूतों के आधार पर पक्षकारान की सुनवाई उपरांत निर्णित किया जाना है,परन्तु प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण द्वारा अपने अभिकथनों के अनुसार यदि दौराने विचारण वाद विवादित भूमि के कब्जे काश्त की भूमि से बेदखली इत्यादि कर दिया जाता है तो पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार नहीं किया जा सकता है और प्रकरण को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदगिंया बढेगी। उपरोक्त परिस्थिति को मदद्वेनजर रखते हुए विप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम निषेधाज्ञा ... चित प्रतीत होता है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आ... क स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:44:48 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीक... किया जाकर विप्रार्थी सं. 1 को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे मौजा चाडों की ढाणी पटवार क्षेत्र चाड़ों की ढाणी तहसील सिणधरी में खेत खसरा नम्बर 523 रकबा 09.16 बीघा, 523/2 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 525 रकबा 08 बिस्वा,

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

खसरा नम्बर 555 रकबा 20.02 बीघा, खसरा नम्बर 594 रकबा 29.
15 बीघा, खसरा नम्बर 813 रकबा 12.19 बीघा, खसरा नम्बर 816
रकबा 09.09 बीघा व खसरा नम्बर 819 रकबा 08.19 बीघा कुल
रकबा 91.12 बीघाभूमि अवस्थित में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की
भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं उसके मौके की यथास्थिति
बनाये रखे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
SDO निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:44:48 IST
Reason: SelfAttested